प्रेस नोट दिनाँक-27.06.2022

(1). दिनाँक-26.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(2). आज दिनांक 27.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गया।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री दीपेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आरक्षी लवलेश यादव एवं आरक्षी रोहित कुशवाहा थाना राजापुर द्वारा अभियुक्त सुमरन पुत्र रामसजीवन निवासी रीठी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 40 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ निर्मित शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

40 लीटर अवैध कच्ची शराब महुआ निर्मित

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. आरक्षी लवलेश यादव थाना राजापुर
2. आरक्षी रोहित कुशवाहा
3. आरक्षी निशांत यादव

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन मे अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये गये अभियान के क्रम मे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री भास्कर मिश्र के नेतृत्व में कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त 1.छोटा पुत्र रामकुमार नि0 इटरौर भीखमपुर 2.संजय पुत्र रामप्रकाश 3. राहुल नि0 गण रेलवे क्रासिंग कर्वी 4.सुकुरूआ पुत्रगण रामकिशोर 5. नान उर्फ नरेन्द्र पुत्र बाबूलाल नि0गण नाव घाट 6.रामप्रकाश पुत्र सिद्धा नि0 पुरानी कोतवाली 7. प्रेमचन्द्र पुत्र चन्द्रपाल नि0 जगदीशगंज थाना कर्वी चित्रकूट को ताँश के पत्तों से हार जीत की बाजी तगाकर जुआँ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के मालफड से 1700 रूपये,52 अदद ताँश के पत्ते व जामातलाशी से 1200 रूपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी मे धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया

बरामदगीः-

1. मालफड से 1700 रूपये, 52 अदद ताँश के पत्ते
2. जामातलाशी से 1200 रूपये

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री रामाश्रय प्रसाद थाना कोतवाती कर्वी
2. आरक्षी बाबूलाल
3.आरक्षी गोलू भार्गव

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन मे अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये गये अभियान के क्रम मे चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1ओमप्रकाश पुत्र भगवानदीन नि0 नयागांव सतना 2.मदन केवट पुत्र कौशल नि0 कटरा गूदर कर्वी 3.शिवबरन पुत्र रामस्वरूप यादव नि0 केवटरा नयागांव सतना को ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों के मालफड से 1340 रूपये,52 अदद ताश के पत्ते व जामातलाशी से 320 रूपये बरामद किये गये।
अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली कर्वी मे धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया
बरामदगी:-
1. मालफड से 1340 रूपये, 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 320 रूपये
बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम
1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण सिंह
2. आरक्षी शिवम गुप्ता
3. आरक्षी सोनू पटेल
4. आरक्षी शुभम शर्मा

(6). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी तथा उनकी टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 65/2022 धारा 306 भादवि0 के वांछित अभियुक्त (1) गोरेलाल (2) शिव मोहन (3) राजा पुत्रगण बृजमोहन उर्फ भूरा निवासी लोखरिया पुरवा मजरा महुता रुपौली थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम:-
1. प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री गुलाब त्रिपाठी
2. आरक्षी प्रमोद कुमार यादव
3. आरक्षी श्रीकांत
4. आरक्षी पवन राजपूत

(7). आज दिनाँक-27.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर/यातायात श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में यातायात प्रभारी श्री योगेश कुमार यादव की उपस्थिति में क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय में भारतीय स्टेट बैंक इलाहाबाद के सर्विस इंजीनियर श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा जनपद के समस्त थानों में नियुक्त उ0नि0 एवं आरक्षीगणों को POS मशीन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण में वाहन चेकिंग के दौरान POS मशीन के माध्यम से ई-चालान का पेमेण्ट करने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी ।

प्रशिक्षण में थानों में नियुक्त उ0नि0 एवं मुख्य आरक्षी/आरक्षी उपस्थित रहे ।

(8). श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उपजिलाधिकारी सदर श्रीमती पूजा यादव एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय द्वारा चौकी सीतापुर अन्तर्गत रामघाट में सभी व्यापारी बंधुओं के साथ प्लास्टिक पॉलीथिन का प्रयोग

ना करने के सम्बन्ध में गोष्ठी आयोजित की गयी। इस गोष्ठी में व्यापारी बन्धुओं को पॉलीथीन के प्रयेग के दुष्प्रभाव के बारे में पूर्णता जानकारी दी गई तथा बताया गया कि पॉलीथीन के प्रयेग से प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गयी। समस्त व्यापारी बंधुओं एवं आसपास के दुकानदारों को प्लास्टिक पॉलीथिन न्यूज़ ना करने की हिदायत दी गयी एवं बताया गया कि पॉलीथीन का उपयोग करना दंडनीय है।
इस गोष्ठी के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री भास्कर मिश्रा, चौकी प्रभारी सीतापुर श्री प्रवीण सिंह, नगर पालिका अधिकारीगण उपस्थित रहे।

(9). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी महिला चौकी मऊ उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी तथा उनकी टीम द्वारा पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती प्रियंका पत्नी लवकुश पुत्री स्व0 श्री बुधुलाल निवासी लालता रोड मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा महिला चौकी में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके पति श्री लवकुश द्वारा उसके साथ लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करते है। महिला चौकी प्रभारी एवं टीम द्वारा महिला की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, उनके पति से सम्पर्क करके उन्हें महिला चौकी बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। पति द्वारा भविष्य में अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा न करने तथा पति के कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। पति-पत्नी की आपसी सुलह होने पर महिला चौकी प्रभारी द्वारा दोनो को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें।

समझौता करवाने वाली टीमः-

1.महिला चौकी प्रभारी उ0नि0 श्रीमती रामकुमारी
2. महिला आरक्षी शिवानी राय

(10). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक महिला थाना श्रीमती रीता सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम द्वारा मां-बेटे के आपसी विवाद को समाप्त कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती बुधिया पत्नी स्व0 कामता निवासी अगरहुड़ा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका बेटा पंचा के साथ लड़ाई झगड़ा करता है तथा मेरा पैसा भी ले लिया है। पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर बात सुनी गयी। महिला के बेटे द्वारा अपनी माता के पैसे वापस करते हुए भविष्य लड़ाई झगड़ा न करने की बात कही गयी। दोनों पक्ष आपस में सुलह समझौता कर लिए। पुलिस टीम द्वारा भविष्य में लड़ाई झगड़ा न करने हेतु हिदायत दी गयी।

समझौता करवाने वाली टीमः-

1. आरक्षी आरविन्द कुमार
2. महिला आरक्षी स्वेता
3. महिला आरक्षी रीता यादव